

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश घाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 20/2023
जीसीएमएस नं. 2023/78

दायर दिनांक 07.08.2023
निर्णय दिनांक 25.06.2025

1.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आसपुर जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

- 1.श्री कचरू पिता धनजी कुम्हार निवासी पारडाथूर तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
- 2.श्री जगजी पिता धनजी कुम्हार निवासी पारडाथूर तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
- 3.श्री रामजी पिता धनजी कुम्हार निवासी पारडाथूर तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
- 4.श्री हिरालाल पिता धनजी कुम्हार निवासी पारडाथूर तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर

– रेस्पोजेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थित – 1.राजकीय परोकार – अपीलाण्ट

–:निर्णय:–

दिनांक –25.06.2025

1. अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार आसपुर की ओर से प्रस्तुत किया है जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि मौजा खुदरडा के खसरा नम्बर 2945/1923 रकबा 0.1214 है0 भूमि जरिये उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 141-143 दिनांक 08.12.2010 द्वारा श्री कचरू पिता धनजी कुम्हार, जगजी पिता धनजी कुम्हार, रामजी पिता धनजी कुम्हार, हिरालाल पिता धनजी कुम्हार निवासी पारडाथूर तहसील आसपुर के नाम भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन के 12 वर्षों के पश्चात आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न ही मौके पर

दिनेश घाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

Page 1 of 3

आदिनांक तक कब्जा है, उक्त भूमि गैर खातेदार दर्ज होकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं होकर आवंटन नियम 14 (3) की पालना नहीं होने से निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी को नोटिस की विधिवत तामील होने के उपरान्त नियत दिनांक 06.05.2025 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, ऐसी परिस्थिति में विपक्षी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस समाप्त की गई।

3. पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन कि आवंटी/विपक्षी द्वारा आवंटन वर्ष 2010 से लेकर आदिनांक तक आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है एवं न ही वह मौके पर काबिज काश्त है। आवंटित भूमि अब तक गैर खातेदार में दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य होने से इसे निरस्त फरमाया जावे।

4. हमने बहस पर मनन किया।

5. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा खुदरडा के खसरा नम्बर 2945/1923 रकबा 0.1214 है0 भूमि जरिये उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 141-143 दिनांक 08.12.2010 द्वारा श्री कचरू पिता धनजी कुम्हार, जगजी पिता धनजी कुम्हार, रामजी पिता धनजी कुम्हार, हिरालाल पिता धनजी कुम्हार निवासी पारडाथूर तहसील आसपुर के नाम भूमि आवंटित की गई थी। तहसीलदार आसपुर द्वारा उपरोक्त आवंटीत आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की है। राजकीय पैरोकार द्वारा बहस में यह कथन किया है की नियम 14 (3) अनुसार आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि को काश्त एवं उपयोग किया जाना

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज0)

पीठारसीन अधिकारी :-श्री दिनेश धाकड (आर.ए.एस.)

मु.नं. -20/2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयो. भूमि आवंटन नियम 1970

उनवान- तहसीलदार आसपुर बनाम कचरू

आवश्यक हैं। आवंटी को आराजी वर्ष 2010 में आवंटित हुई। अतः आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तों के अनुसार काश्त किया जाना होता है। इतने वर्षों के उपरान्त भी आवंटी जमाबन्दी रिकोर्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हैं जबकि आवंटी को आवंटित आराजी पर काश्त कर नियमानुसार खातेदारी अधिकार हेतु कार्यवाही की जानी होती हैं। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी आवंटन के 12 वर्षों के उपरान्त भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये हैं। इससे जाहिर होता है कि आवंटी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है अतः आवंटन नियमों के उल्लघन साबित होने से आवंटन खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अपील स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश द्वारा मौजा खुदरडा के खसरा नम्बर 2945/1923 रकबा 0.1214 है0 भूमि जरिये उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 141-143 दिनांक 08.12.2010 द्वारा श्री कचरू पिता धनजी कुम्हार, जगजी पिता धनजी कुम्हार , रामजी पिता धनजी कुम्हार, हिरालाल पिता धनजी कुम्हार निवासी पारडाथूर तहसील आसपुर के नाम आवंटित भूमि निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आसपुर आवंटित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।



(दिनेश धाकड)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर